झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा		15 मार्च, 2016 (ई0)
[पंचम-सत्र]	मंगलवार,तिथिः-	25 फाल्गुन,1937 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

(04)- डॉ0 जीतू चरण राम,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य। (दिनांकः-14.03.2016 से स्थगित)

(05)- सर्वश्री बादल,बिरंची नारायण एवं श्री राधाकृष्ण किशोर,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(06)- श्री प्रकाश राम एवं श्री अरूप चटर्जी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(07)- सर्वश्री कुणाल षड़ंगी,नलिन सोरेन एवं श्री दशरथ गागराई,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(08)- श्री योगेश्वर महतो,डॉ0 जीतू चरण राम एवं श्री नागेन्द्र महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(09)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(10)- मंत्री प्रभारी,योजना-सह-वित्त प्रस्ताव करेंगे कि ''भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में,मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च,2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन सामान्य,सामाजिक एवं आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम) राजस्व क्षेत्र एवं राज्य वित्त 2014-2015 झारखण्ड सरकार जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ'' तथा इस क्रम में मंत्री प्रभारी,योजना-सह-वित्त पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(11)- मंत्री प्रभारी,योजना-सह-वित्त प्रस्ताव करेंगे कि ''भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में,मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च,2015 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 2014-15 झारखण्ड सरकार का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है,को सदन पटल पर रखता हूँ'' तथा इस क्रम में मंत्री प्रभारी, योजना-सह-वित्त पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिये प्राप्य हो।

(12)- ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ''दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं वार्षिक बजट वर्ष 2014-15'' की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

(13)- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ''झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली,2015'',''झारखण्ड राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली,2016'' एवं ''झारखण्ड अधिविद्य परिषद (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली,2016'' की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

(14)- कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ''झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) नियमावली,2015'' की एक प्रति सभा पटल पर रखा जाना।

(15)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(16)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(17)- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(13) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), वाणिज्यकर विभाग, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग), कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) एवं गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{माँग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

क्र०पृ०उ०/--

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक,2016

(18)- योजना-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रघुवर दास प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक,2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(19)- योजना-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रघुवर दास उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(20)- योजना-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रघुवर दास प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक,2016" पर विचार हो।

(21)- योजना-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रघुवर दास प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक,2016" स्वीकृत हो।

(22)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2016-2209/वि0स0,राँची,दिनांक-14 मार्च,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव,झारखण्ड सरकार,राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/2016
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2016-2209/वि0स0,राँची,दिनांक-14 मार्च,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2016
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2016-2209/वि0स0,राँची,दिनांक-14 मार्च,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/2016
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

14/03/16